

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

अधि०सं० प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-१६/२०२३

/पटना, दिनांक-

-::अधिसूचना::-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के तहत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नांकित सहायक अभियंता(असैनिक)(वेतन स्तर-९) को कार्यपालक अभियंता(असैनिक) का, उसके विहित वेतनमान(वेतन स्तर-११) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/ आई०डी०/गृह जिला/जन्म तिथि /से०नि० तिथि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (विभागीय आदेश सं०-२५५ सहपठित ज्ञापांक-५२२२ दिनांक-२६.१०.२०१६ के अनुसार)	आरक्षण कोटि	वर्तमान कोटि
१	२	३	४	५
१.	श्री दीपक कुमार/ बी०पी०एस०सी० मेधा क्रमांक-८१७/वैशाली/ १९.०६.१९८६/३०.०६.२०४६	१०८	SC	सहायक अभियन्ता

२. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित शर्तों के अध्वधीन है ।

३. संबंधित पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान धारित पद को कार्यपालक अभियन्ता(विहित वेतनमान-वेतन स्तर-११) में उत्क्रमित किया जाता है ।

४. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।

५. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के प्रावधानों के तहत अधिसूचना में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु०- यथोक्त ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव ।

क०पू०३०

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान प्रधान/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री दीपक कुमार, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सीतामढ़ी(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

20

01/01/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

सिद्धि